टिप्पणी

10

संघीय कार्यपालिका

भारत एक लोकतांत्रित गणराज्य है जिसकी शासन प्रणाली संसदीय हैं। केन्द्रीय स्तर की सरकार को संघ सरकार तथा राज्य स्तरीय सरकार को, राज्य सरकार कहा जाता है। संघ सरकार के तीन अंग हैं–कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री–परिषद मिलकर संघीय कार्यपालिका बनाती है।

इस पाठ में आप संघीय कार्यपालिका के गठन तथा कार्यों के विषय में पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर बता सकेंगे;
- यह बता पाएंगे कि भारत एक गणराज्य है जिस का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है;
- भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं तथा निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे;
- राष्ट्रपति की कार्यकारिणी संबंधी, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों को समझ सकेंगे;
- राष्ट्रपति की स्थिति की व्याख्या कर पाएंगे;
- भारत की राजनीतिक व्यवस्था में उप–राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- यह बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है तथा मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है;
- प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्री–परिषद की शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या कर पाएंगे;
- व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के निहित अर्थ का विश्लेषण कर सकेंगे।

10.1 राष्ट्रपति

हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत एक प्रभुता सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

योग्यताएं: राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं:

(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;

(iii) वह लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो;

(iv) वह किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो अर्थात प्रत्याशी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तथा केन्द्र या राज्यों में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता।

राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य या राज्यों में विधायक नहीं हो सकता। यदि कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उस का संसद, अथवा विधानमण्डल में स्थान उस दिन से रिक्त माना जाता है जिस दिन वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है।

10.1.1 निर्वाचन प्रक्रिया

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक मण्डल के सदस्य नहीं होते। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान गुप्त मत द्वारा होता है। संविधान निर्माता चाहते थे कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत एक समान हों। इसलिए मतों की समानता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिस के द्वारा प्रत्येक निर्वाचित सांसद तथा विधायक के वोट का मूल्य निर्धारित किया जा सके।

किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है:-

$$= \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \div 1000$$

सरल शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करके, भागफल को फिर 1000 से भाग दिया जाए।

उदाहरण:- मान लीजिए पंजाब की जनसंख्या 1,35,51,660 है तथा विधान सभा के सदस्यों की संख्या 104 है तो प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य होगा-

$$\frac{1,35,51,000}{104} \div 1000$$

$$= 130.29$$

= 130 [पूर्ण संख्या बनाने पर क्योंकि, 29, 50 % से कम है।]

संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र-दिल्ली

एवं पांडीचेरी की विधान सभाओं के सभी सदस्यों के मत जोड़कर लोकसभा तथा राज्य सभा के सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित किया जाता है।

$$= \text{एक सांसद के मत} = \frac{\text{सभी विधान सभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मत}}{\text{संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या}}$$

उदाहरण: सभी राज्यों की विधान सभाओं के मतों को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए यह संख्या 5, 44, 971 है और संसद के कुल निर्वाचित सदस्य हैं 776, तो:

$$\text{प्रत्येक सांसद के मत} = \frac{5,44,971}{776} = 702.28$$

= 702 (पूर्ण संख्या बनाने पर)

गणना करते समय यदि शेष फल 50 प्रतिशत से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाता है और यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो भागफल में एक मत जोड़ दिया जाता है।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली: राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इस प्रणाली में सभी प्रत्याशियों के नाम मतपत्र पर लिख दिए जाते हैं और मतदाता उनके आगे संख्या लिखते हैं। प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर वरीयता क्रम में उतनी पसंदें लिखता है जितने प्रत्याशाी होते हैं। उसी प्रकार वह अन्य प्रत्याशियों के नाम के आगे भी अपनी पसंद के आधार पर संख्या 2, 3, 4 आदि...लिख देता है। यदि पहली पसंद न लिखी जाए अथवा एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है।

मतगणना परिणाम की घोषणा

राज्य विधान सभाओं के सदस्य अपना मतदान राज्यों की राजधानियों में करते हैं जबकि संसद सदस्य अपना मत दिली या राज्य की राजधानियों में कर सकते हैं। मत गणना नई दिल्ली में होती है। पहली पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशियों के मत अलग करके गिन लिए जाते हैं। निर्वाचित घोषित होने के लिए कुल डाले गए वैध मतों के 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। इसे कोटा अथवा न्यूनतम आवश्यक अंक कहते हैं। कोटा निकालने के लिए कुल डाले गए वैध मतों को निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या में एक जोड़कर भाग किया जाता है। क्योंकि केवल राष्ट्रपति को निर्वाचित होना है इसलिए 1+1 अर्थात दो से भाग दिया जाता है। न्यूनतम अंकों को 50 से अधिक बनाने के लिए भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। इसलिए

$$\text{कोटा} = \frac{\text{कुल डाले गए वैध मत}}{1+1} + 1$$

पहली गणना में केवल पहली पसंदों को गिना जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक न्यूनतम अंक अर्थात कोटा प्राप्त नहीं कर सकता, तो सबसे कम पहली पसंदें प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की दूसरी पसंदों के आधार पर उसके मतों का हस्तांतरण बाकी प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। इस प्रकार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम हटा दिया जाता है। दूसरी गणना के आधार पर यदि किसी प्रत्याशी को वांछित मत मिल जाते हैं, तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि अब भी किसी प्रत्याशी को कोटा प्राप्त नहीं होता, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के मत उसकी तीसरी पसंद के आधार

पर बाकी प्रत्याशियों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजयी घोषित नहीं होता। आइए, हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कुल वैध मत 20,000 हैं और अ, ब, स और द चार प्रत्याशी हैं। यहाँ पर वांछित अंक या कोटा होगा:

$$\frac{20,000}{1+1} + 1 = 10001.$$

मान लीजिए पहली गणना में चारों प्रत्याशियों को पहली पसंद के आधार पर मिले मत इस प्रकार हैं:

अ = 9000

ब = 2000

स = 4000

द = 5000

इस स्थिति में किसी भी प्रत्याशी को वांछित अंक, अर्थात 10,001 मत नहीं मिले। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ब को हटा दिया जाता है और उसके 2000 मत दूसरों को हस्तांतरित कर दिए जाते है।

मान लीजिए मतों के हस्तांतरण से अ को1100, स को 500 तथा द को 400 मत मिले। अब उनकी स्थिति इस प्रकार है:

अ = 9000 + 1100 = 10,100

स = 4000 + 500 = 4500

द = 5000 + 400 = 5400

क्योंकि प्रत्याशी अ को वांछित मत अर्थात कोटा मिल गया है इसलिए इसे राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होती है।

पाठगत प्रश्न 10.1

निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटिए और उसके आगे टिक (✓) का निशान लगाइए:

1. राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है:

   (क) 21 वर्ष

   (ख) 25 वर्ष

   (ग) 30 वर्ष

   (घ) 35 वर्ष

2. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में किस का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए?

   (क) लोक सभा

   (ख) राज्य सभा

   (ग) विधान परिषद

   (घ) जिला परिषद

3. निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य निर्वाचक मण्डल के सदस्य नहीं होते:

   (क) राज्य सभा

   (ख) विधान सभा

   (ग) विधान परिषद

   (घ) लोक सभा

10.2 राष्ट्रपतिः कार्यकाल तथा पद से हटाना

राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। वह अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। यद्यपि स्थापित परम्परा के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद दो बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है या यह पद उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकता है। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण कर पद लेने की तिथि से प्रारम्भ होता है।

10.2.1 विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां

1. वह अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
2. राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध किसी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही की जा सकती है।
3. राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
4. राष्ट्रपति पर कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम दो मास का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

10.2.2 राष्ट्रपति को अपदस्थ करना

राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। महाभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही चलाया जा सकता है। यह विधि जानबूझ कर इतनी कठिन बनाई गई ताकि किसी भी राष्ट्रपति को किसी तुच्छ आधार पर न हटाया जा सके। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव केवल सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के

अतिक्रमण का आरोप हो, कम से कम सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए केवल तभी दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच दूसरे सदन द्वारा की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। यदि आरोपों को दूसरे सदन के कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, तो महाभियोग पारित हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद मुक्त हो जाता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अमरीका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कहीं अधिक कठिन है जहां ये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए प्रतिनिधि सदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

महाभियोग: महाभियोग एक ऐसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च पद पर आसीन किसी लोक सेवक, जैसे भारत का राष्ट्रपति, को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है।

10.2.3 राष्ट्रपति पद का रिक्त होना

जब भी मृत्यु, त्याग पत्र अथवा महाभियोग के कारण, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है, परंतु यह कार्यकाल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन छह महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। नव निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अर्थात पांच वर्ष के लिए बना रहता है। जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में हुई, तो उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया और छह महीने के अंदर नए राष्ट्रपति (संजीव रेड्डी) का चुनाव हो गया।

यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो (कारण छह महीने से पूर्व मृत्यु या त्यागपत्र हो सकता है) तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लेते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधान 1969 में उस समय पारित किया जब राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने त्याग पत्र दे दिया था।

यदि कोई राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्थाई रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का वहन कर सकता है।

पाठगत प्रश्न 10.2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर (✓) टिक लगाइए:

1. भारत के राष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है?

   (क) तीन साल

   (ख) चार साल

   (ग) पांच साल

   (घ) छह साल

2. राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में रखा जा सकता है?

   (क) लोक सभा

   (ख) राज्य सभा

   (ग) विधान सभा

   (घ) संसद के किसी भी सदन में

3. जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों ही उपलब्ध नहीं होते, तो राष्ट्रपति का पदभार कौन सम्भालता है?

   (क) प्रधान मंत्री

   (ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश

   (ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

   (घ) लोक सभा अध्यक्ष

10.3 राष्ट्रपति की शक्तियां

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों को कार्यपालिका संबंधी विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा पहले ही नौवें पाठ में की जा चुकी है।

10.3.1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियां

राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है जैसे प्रधान मंत्री और उसका मंत्री-परिषद। उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां नीचे दी गई हैं-

> राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसके परामर्श पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और उसी की सलाह पर वह किसी भी मंत्री को अपदस्थ भी कर सकता है।

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सभी न्यायिक नियुक्तियों को करते समय वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इसके अतिरिक्त वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से जिसे वह ठीक समझता है, परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल की भी सलाह होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करता है। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के निर्णय के अनुसार जिसकी 1999 में पुनः व्याख्या की गई, राष्ट्रपति सभी न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नामसूची खण्ड की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम कहा जाता है।

टिप्पणी

राष्ट्रपति भारत के महान्यायावादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्यों के राज्यपाल तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। ये सभी नियुक्तियां प्रधान मंत्री तथा संघीय मंत्री परिषद की सलाह से की जाती हैं।

राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। इस नाते वह थल, जल तथा वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा शांति सन्धि भी कर सकता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, वह देश के विदेश संबंधी मामलों की भी देखभाल करता है। वह दूसरे देशों के लिए भारत के राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों की नियुक्ति करता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों और आयुक्तों का स्वागत करता है। सभी कूटनीतिक कार्य विदेशों में हमारे दूतावास तथा राजदूतों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते उसी के नाम से ही होते हैं।

वह संघीय संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को लागू करता है। केन्द्रीय मंत्री-परिषद की सलाह से अपने द्वारा नियुक्त सभी अधिकारियों को जैसे राज्यपाल और राजदूतों को वह हटा सकता है या वापिस बुला सकता है।

राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता रहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका के किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रधान मंत्री को केवल एक बार कह सकता है। वह किसी मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी मंत्रीमंडल को कह सकता है। परंतु पुनर्विचार के लिए दो बार नहीं कह सकता।

10.3.2 विधायी शक्तियां

संसद का अभिन्न अंग होने के नाते, राष्ट्रपति को अनेक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। ये शक्तियां इस प्रकार है: राष्ट्रपति संसद के सदनों के अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उनकी बैठक स्थगित कर सकता है। वह संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार बुला सकता है परंतु किन्हीं भी दो सत्रों के बीच छह मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह लोक सभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर सकता है। सामान्य स्थिति में वह लोक सभा पांच वर्ष के पश्चात ही भंग करता है। वह राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। यदि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो, तो इस समुदाय के दो सदस्यों को लोक सभा में मनोनीत किया जा सकता है। यदि किसी साधारण विधायक के मामले में लोक सभा और राज्य सभा में सहमति न बन पाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अभी तक ऐसी तीन संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी है (विस्तृत चर्चा के लिए देखें पाठ 11)। राष्ट्रपति को संसद को सम्बोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। वह प्रत्येक वर्ष होने वाली संसद के दोनों सदन की प्रथम बैठक एवं आम चुनाव के बाद होने वाली संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करता है। उन सम्बोधनों में तत्कालीन सरकार की नीतियों का वर्णन होता है।

संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है। वह स्वीकृति प्रदान करता है अथवा पुनर्विचार के लिए ससंद को वापिस भेज सकता है। यदि संसद इस विधेयक को पुन: पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार के अध्यादेश को कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख, जब अधिवेशन प्रारम्भ हो, रखा जाना जरूरी है। यदि अध्यादेश न तो संसद

द्वारा स्वीकार किया जाए और न ही उसे राष्ट्रपति वापिस ले, तो संसद के अगले सत्र के प्रारम्भ होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर इसे स्वयंमेव रद्द समझा जाता है। प्राय: अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा विधेयक प्रस्तावित किया जाता है।

10.3.3 वित्तीय शक्तियां

सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसी से वह किसी भावी या आकस्मिक कार्य के लिए अग्रिम राशि प्रदान कर सकता है। वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोक सभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि सरकार चलते वित्तीय वर्ष के बीच में यह अनुभव करें कि उसे वार्षिक बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि चाहिए, तो वह पूरक बजट भी प्रस्तावित कर सकती है। धन विधेयकों को कभी भी पुनर्विचार के लिए संसद में वापिस नहीं भेजा जा सकता। प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। यह आयोग कुछ वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें विशेष तौर पर केन्द्र तथा राज्यों में केन्द्रीय करों के बंटवारे के बारे में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसे सदन में प्रस्तुत करवाता है।

भारत की आकस्मिक निधि: यह केन्द्रीय सरकार की ऐसी निधि है जिससे किसी आवश्यक आकस्मिक खर्चे को पूरा किया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह इसी में से पैसा निकालने की आज्ञा देता है।

10.3.4 न्यायिक शक्तियां

आप पहले पढ़ चुके है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी सहित केन्द्रीय सरकार के विधि अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानूनों को तोड़ने के लिए दोषी पाए गए अपराधियों को राष्ट्रपति को क्षमादान करने, किसी दंड को कम करने अथवा कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। वह कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत वह उस व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है जिसे मृत्यु दंड दिया गया है। परंतु ऐसा केवल विधि मंत्रालय की सलाह पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। वह कानून से उपर है तथा उस पर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

10.4 राष्ट्रपति की स्थिति

राष्ट्रपति का पद ख्याति और गौरव का है न कि वास्तविक शक्तियों का पद। उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति के नाम से मंत्री-परिषद द्वारा किया जाता है। यदि वह मंत्रीपरिषद की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो यह संवैधानिक संकट माना जाता है। इसके लिए उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसे हटाया भी जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की बात मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुखिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखता है।

मंत्री-परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और केवल अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ही हटाई जा सकती है। परंतु संविधान के अनुसार मंत्री-परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक कार्य करनी

रह सकती है। संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री-परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति की शक्तियां औपचारिक हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री-परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के चवालीसवें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापिस भेज सकता है। यदि विधेयक पुनः पारित कर दिया जाता है; तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। संविधान सभा में डा. बी आर अम्बेडकर ने ठीक कहा था, ''राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वही है जो ब्रिटिश संविधान में राजा की होती है।'' परंतु वास्तविकता में भारत का राष्ट्रपति मात्र रबर की मुहर नहीं है। संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति का है। वह नवनियुक्त प्रधानमंत्री को निर्धारित समय के अंदर विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कह सकता है। देश का सारा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। वह किसी भी मंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मंत्री-परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। उसे प्रशासन से संबंधित सभी जानकारी भी दी जाती हैं। राष्ट्रपति पद की उपयोगिता का पता उसी बात से लग जाता है कि उसे सरकार को परामर्श, प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन तथा चेतावनी देने का अधिकार है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति एक परामर्शदाता, मित्र तथा आलोचक के रूप में उभर कर सामने आता है।

निष्कर्ष के तौर पर हम राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन डा. अम्बेडकर के शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं, ''भारत का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तो है परंतु शासनाध्यक्ष नहीं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधि तो है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान केवल एक औपचारिक अध्यक्ष का है।''

10.5 उपराष्ट्रपति

भारत के संविधान के अनुसार एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

वह भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो तथा राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पांच वर्ष के लिए होता है। वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को लिखित सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है। राज्य सभा, लोकसभा की सहमति से बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके पांच वर्ष की अवधि से पहले उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।

10.5.1 उपराष्ट्रपति के कार्य

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है जिसका अर्थ यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्य सभा के सभापति के रूप में अपना दायित्व निभाएगा। उसके कार्यों में सदन में व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने तथा प्रश्न पूछने की अनुमति देना और विधेयकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करवाना है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता। इस लिए वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। परंतु यदि किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान के समय मतों की संख्या बराबर हो जाए तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है ताकि कोई निर्णय निकल सके।

जब कभी मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति

कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है जो छः महीने से अधिक नहीं हो सकता। इस काल में उसे राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां प्राप्त होती हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह राज्य सभा का सभापतित्व नहीं कर सकता।

यदि राष्ट्रपति अस्थाई रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तो बिना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों को निभाता है।

पाठगत प्रश्न 10.3

(क) भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है?

(ख) मंत्री-परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है?

(ग) राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(घ) राज्य सभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं?

(ङ) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता कौन होते हैं?

(च) राष्ट्रपति की किसी एक न्यायिक शक्ति का उल्लेख कीजिए।

(छ) राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, प्रायः किस प्रकार के विधेयक लोक सभा में प्रस्तावित किए जाते हैं।

10.6 प्रधानमंत्री तथा मंत्री-परिषद

राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मंत्री-परिषद करती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग और परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री-परिषद होगा जिसके बिना राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं चला सकता। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष है परंतु प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है।

10.6.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु उसे प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। सामान्यतया, उसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। यदि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हेाता तो वह उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे दो या दो से अधिक दलों के समर्थन से लोक सभा में बहुमत प्राप्त है। यद्यपि ऐसा भी हुआ है जब राज्य सभा के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा तब हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1997 में इंद्रकुमार गुजराल प्रधान मंत्री बने या जब राज्य सभा के सदस्य डा. मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने। 1996 में एचडी देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बने पर बाद में वे राज्य सभा के सदस्य बन गए।

प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री-परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रों, धार्मिक और जातिगत समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। गठबंधन की सरकार में सभी घटक दलों को उचित प्रतिनिधित्व देना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों को बांटने में निर्णय लेता है तथा अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन भी कर

टिप्पणी

सकता है। मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य अवश्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह भी छः मास के लिए मंत्री बन सकता है। ऐसे मंत्री को छः महीने के अंदर चुनाव जीत कर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। सभी मंत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मंत्री-परिषद में दो प्रकार के मंत्री होते है। ये है: कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रायः दल तथा घटक दलों के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के बाद का दर्जा प्राप्त है। कुछ राज्य मंत्रियों के पास किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार होता है जो केन्द्रीय मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। कभी-कभी मंत्रियों के सहयोग के लिए उपमंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है।

केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त बाकी मंत्री सामान्यतया मंत्रिमण्डल की बैठक में भाग नहीं लेते। मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सभी नीतिगत निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सके अथवा उन्हें त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिपरिषद पद मुक्त हो जाता है। ऐसा इस लिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपदिषद का गठन भी करता है और उसका नेतृत्व भी। पूरा मंत्री-परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

10.6.2 प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां

प्रधानमंत्री केन्द्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अधिकारी होता है। वह सरकार का अध्यक्ष तथा लोक सभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए देश का सुस्पष्ट प्रवक्ता होता है। उसकी भूमिका अतुलनीय है। वह देश के प्रशासन को दिशा-निर्देश प्रदान करता है। मंत्री-परिषद का अध्यक्ष होने के नाते, वह उन मंत्रियों का चयन करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। वास्तव में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है और वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास उनमें बना हुआ है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का विभाजन करता है और अपनी इच्छा से उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा भी सकता है अथवा उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है।

प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कार्यवाही को चलाता है। मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होने के नाते वह इसके निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित भी कर सकता है। वह विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। यदि मंत्रियों में कोई असहमति हो, तो उसे भी प्रधानमंत्री ही सुलझाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल के बीच की कड़ी है। मंत्रिमण्डल के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। सरकार की सभी नीतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही होती है। उसी के परामर्श से, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित कर सकता है और यहां तक कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है।

संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता तथा उसकी नीतियों का प्रतिरक्षक होता है। जब कोई मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद में या संसद से बाहर बचाव पक्ष रखने में असमर्थ होता है, तो प्रधानमंत्री ही सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का नेता है। राष्ट्र उससे मार्ग दर्शन की आशा रखता है। आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री ही जनता को जनादेश देने के लिए कहता है। देश की आतंरिक तथा वाह्य नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह दक्षेस (सार्क), संयुक्त राष्ट्र तथा गुट-निरपेक्ष देशों की बैठकों में भाग लेकर अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों

के साथ होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्पन्न होती हैं। वह देश की नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता होता है। सरकार तथा संसद दोनों में प्रधानमंत्री को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यही उसे एक बहुत ही सशक्त अधिकारी बना देता है। उसकी स्थिति एवं शक्तियां उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं। जवाहर लाल नेहरू अथवा इंदिरा गांधी जैसे स्तर वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से सदैव अधिक प्रभावशाली होगा जिसमें दूरदर्शिता की कमी है अथवा जो समर्थन के लिए अपने दल से बाहर के लोगों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री न केवल संसद का बल्कि राष्ट्र का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री को अपने दल को सभी सदस्यों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना होता है। अल्पसंख्यक सरकार में, प्रधानमंत्री को बाहर से समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे उसकी प्रभावशाली भूमिका में रुकावट आ सकती है।

10.7 मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमण्डल

मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमण्डल जैसे शब्दों का प्रयोग, प्राय: एक दूसरे के लिए कर लिया जाता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया था। आइए, हम मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमण्डल में अंतर जानें। इनमें मुख्य अंतर इस प्रकार है: मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते है जैसे कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री जबकि मंत्रिमण्डल में केवल वरिष्ठ मंत्री होते है। इसमें मंत्रियों की संख्या 15 से 20 के बीच होती है जबकि मंत्रिपरिषद में 70 से भी अधिक मंत्री हो सकते हैं। सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी-कभी ही होती है। दूसरी ओर मंत्रिमण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार बार-बार होती रहती है। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण मंत्रिमण्डल ही करता है न कि मंत्रिपरिषद । इस प्रकार मंत्रिमण्डल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है तथा उसी की ओर से कार्य करता है।

10.7.1 मंत्रिमण्डल के कार्य एवं शक्तियां

मंत्रिमण्डल की शक्तियां विशाल तथा जिम्मेदारियां अनेक हैं। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल करता है। मंत्रिमंडल देश की आतंरिक एवं विदेशी नीति के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय लेता है। लोगों को बेहतर जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमण्डल नीतियां निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। सरकार द्वारा किए जाने वाला सारा खर्च तथा आवश्यक राजस्व जुटाना इसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण की विषय वस्तु भी मंत्रिमण्डल तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाने का दायित्व भी इसी पर है। प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा भी मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार की जाती है।

पाठगत प्रश्न 10.4

रिक्त स्थान भरिए

(क) भारत में सरकार का अध्यक्ष भारत का ..... होता है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश।

(ख) मंत्रियों के विभागों का विभाजन तथा किए जाने वाले परिवर्तन.....करता है।

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति।

(ग) मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता .....करता है।

लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति।

टिप्पणी

(घ) राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग .....द्वारा किया जाता है।
मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय, केन्द्रीय सचिव।

(ङ) .....के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा भंग की जा सकती है।

(च) राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिया जाने वाला अभिभाषण .....के द्वारा तैयार किया जाता है।
उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल, प्रधानमंत्री कार्यालय।

(छ) मंत्रिपरिषद .....के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा, राज्य सभा, संसद।

10.8 मंत्रियों का उत्तरदायित्व

हम पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। परंतु वास्तव में वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और लोक सभा ही उन्हें हटा सकती है। वस्तुत: यह संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, दोनों सदनों के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व संसदात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण है। मंत्रिपरिषदीय दायित्व के सिद्धांत के दो आयाम हैं: सामूहिक उत्तरदायित्व तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।

10.8.1 सामूहिक उत्तरदायित्व

हमारे संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस का वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री लोक सभा के प्रति केवल व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी नहीं अपितु सामूहिक रूप से भी हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ हैं। पहला यह कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमण्डल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इकठ्ठे तैरते हैं, तथा इकठ्ठे डूबते हैं। जब मंत्रिमण्डल द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री को बिना किसी झिझक के उसका समर्थन करना होगा। यदि कोई मंत्री, मंत्रिमण्डल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो उसके लिए केवल एक विकल्प बचता है कि वह मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दे। सामूहिक उत्तरदायित्व का स्तर यह है कि मंत्री सरकार के साथ मतदान करें, यदि प्रधानमंत्री आग्रहपूर्वक कहे तो उसका समर्थन करें, और बाद में संसद में या अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने इस निर्णय की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करें कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं था। दूसरा यह कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होना समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास है। इसी प्रकार, लोक सभा में किसी सरकारी विधेयक या बजट के विरुद्ध बहुमत होना, सारे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास है न कि केवल विधेयक प्रस्तावित करने वाले के विरुद्ध।

10.8.2 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

यद्यपि मंत्री लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तथापि वे लोक सभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमण्डल की सहमति के बिना, यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य की आलोचना होती है और उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार अभद्र अथवा प्रश्नात्मक हो, तो सरकार पर कोई प्रभाव पड़े बिना, उसे त्याग पत्र देना होगा। यदि कोई मंत्री सरकार पर बोझ बन जाता है अथवा प्रधानमंत्री के लिए सिरदर्द बन जाता है, तो उसे पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव: यह प्रस्ताव विधायिका के किसी सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निम्न सदन में अभिव्यक्त अविश्वास है। यदि विधायिका इसे पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है।

आपने क्या सीखा

भारत ने संसदात्मक शासन प्राणी को अपनाया है जिसमें राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक जटिल प्रणाली द्वारा होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि केन्द्रीय संसद और राज्य विधान सभाओं के मतों का मूल्य समान हो।

राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। वह पुन: भी चुनाव लड़ सकता है। वह अवधि पूरी होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है अथवा उसे महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। उसकी शक्तियों को विधायी, कार्यपालिका संबंधी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंतु उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को कई विशेषाधकिार प्राप्त हैं और वह प्रशासन के क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकता है। उसे सूचना प्राप्त करने, परामर्श करने और चेतावनी देने का अधिकार प्राप्त है। वह मंत्रिपरिषद के लिए मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता भी है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को लोक सभा के बहुमत दल के नेता अथवा कुछ दलों के गठबंधन के नेता को प्रध ानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इसके दायित्व वहन में सलाह व सहयोग देती है। मंत्रिपरिषद में दो स्तरों के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। वह देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वह मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रीपरिषद उसकी देखरेख में कार्य करती है। सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का ध्यान रखता है तथा उनमें समन्वय बनाए रखता है। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, प्रधान मंत्री की सिफारिश पर होती हैं।

मंत्रिमण्डल सरकार की आंतरिक एवं विदेश नीतियां निर्धारित करता है। यह विभिन्न विभागों के कार्यों में तालमेल स्थापित करता है। राष्ट्रीय वित्त पर इस का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी भी धन विधेयक को लोक सभा में केवल मंत्री ही प्रस्तावित कर सकते हैं।

पाठांत प्रश्न

1. राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
2. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। उसका कार्यकाल कितना होता है तथा वह कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है?
3. भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए।
4. भारत के राष्ट्रपति की भूमिका तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए।
6. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? व्याख्या कीजिए।
7. भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए।

टिप्पणी

8. मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमण्डल में अंतर कीजिए।
9. मंत्रियों के सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

10.1

1. घ– 35 वर्ष
2. क– लोक सभा
3. ख–विधान परिषद

10.2

1. ग–5 वर्ष
2. घ–ससंद का कोई भी सदन
3. ख–भारत के मुख्य न्यायाधीश

10.3

(क) राष्ट्रपति
(ख) प्रधानमंत्री
(ग) महाभियोग
(घ) 12 (बारह)
(ङ) संसद सदस्य
(च) अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार
(छ) धन विधेयक (वित्त विधेयक)

10.4

(क) प्रधानमंत्री
(ख) प्रधानमंत्री
(ग) प्रधानमंत्री
(घ) मंत्रिपरिषद
(ङ) मंत्रिमण्डल
(च) केन्द्रीय (संघीय) मंत्रिमण्डल
(छ) लोकसभा

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 10.1.1 देखें
2. खण्ड 10.1 देखें
3. खण्ड 10.3.2 देखें
4. खण्ड 10.3.1 देखें
5. खण्ड 10.3 और 10.4 देखें
6. खण्ड 10.5 देखें
7. खण्ड 10.6.1 देखें
8. खण्ड 10.6.2 देखें
9. खण्ड 10.7.1 देखें
10. खण्ड 10.8 देखें